मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
****

एफ. क्रमांक सी 3-51/75/(3)एक भोपाल, दिनांक 3 जनवरी, 1976.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्य प्रदेश

विषयः - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी सेवा) नियम 1960 = संशोधन

****

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना एफ0 क्रमांक सी. 3/51/75 (3)एक दिनांक 22 दिसंबर, 1975 जिसके अनुसार उक्त नियमों में संशोधन किये गये है और जो मध्य प्रदेश के असाधारण राजपत्र में दिनांक 22 दिसंबर, 1975 को प्रकाशित किये गये है की प्रति सूचनार्थ संलग्न है ।

(के0 एन0 श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ0 क्रमांक सी. 3-51/75/(3)एक भोपाल, दिनांक 3 जनवरी, 1976.

प्रतिलिपि :-

1/ निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल

2/ राज्यपाल के सचिव, / सैनिक सचिव
सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्य प्रदेश, भोपाल

3/ अवर सचिव, (अधीक्षण) / अवर सचिव (स्थापना) / लेखा अधिकारी,
मध्य प्रदेश सचिवालय, भोपाल

4/ मुख्य मंत्री/ मंत्रिगण / राज्य मंत्रिगण / उप मंत्रीगण के निजी सचिव/निजी सहायक

को ओर सूचनार्थ ।
5. [illegible] की ओर सूचनार्थ

अवर सचिव

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. एम. पी. सी 49

पंजी क्रमांक एम. पी. 533

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 1975—पौष 1, शके 1897

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 1975.

एफ. क्र. सी. 3-51-75-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स (टैम्परेरी एण्ड क्वासी-परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

(1) नियम (2) में खंड (बी) तथा (सी) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों के बारे में यही और सदैव यही समझा जायगा कि वे तारीख 11 जनवरी 1974 से स्थापित किये गये हैं, अर्थात् :—

"(बी) 'स्थायीवत् सेवा (क्वासी-परमानेंट सर्विस)' से अभिप्रेत है, वह अस्थायी सेवा जो ऐसी तारीख से प्रारम्भ हुई हो, जो कि नियम 3 के अधीन जारी की गई घोषणा में उस विषय में विनिर्दिष्ट की जाय या जो उस तारीख से प्रारम्भ हुई हो जिससे कि संबंधित शासकीय सेवक का नियम 3 ए के अधीन स्थायीवत् सेवा में होना समझा जाता हो, और जो उस तारीख के पश्चात् कर्तव्य तथा छुट्टी की (असाधारण छुट्टी को छोड़कर), कालावधियों के रूप में हो.

(सी) 'विनिर्दिष्ट पद' से अभिप्रेत है ऐसा कोई विशिष्ट पद या ऐसी कोई विशिष्ट श्रेणी या किसी केडर में के ऐसे पद जिनके बारे में किसी शासकीय सेवा का स्थायीवत् पद, सेवा में होना नियम 3 के अधीन घोषित किया जाय या स्थायीवत् सेवा में नियम 3 ए के अधीन होना समझा जाय;"

(2) नियम 3 में,—

(क) खंड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायगा कि वह तारीख 11 जनवरी 1974 से स्थापित किया गया है, अर्थात्:—

"(एक) यदि वह अस्थायी सेवा में, उसी सेवा में या पद पर, निरन्तर 3 वर्ष से अधिक समय तक रहा हो; और";

(ख) खंड (तीन) के बारे में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि तारीख 11 जनवरी 1974 से उसका लोप किया गया है ;"

(ग) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण के बारे में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह तारीख 11 जनवरी 1974 से स्थापित किया गया है, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिये निरन्तर अस्थायी सेवा की संगणना करते समय, किसी दीर्घावकाश (व्हेकेशन) के दौरान सेवा में विघ्न (ब्रेक-इन सर्विस) की किसी कालावधि की गणना वास्तविक सेवा की कालावधि के रूप में वहां की जायेगी जहां दीर्घावकाश के ठीक पश्चात् पुन नियुक्ति पर शासकीय सेवक को ऐसी कालावधि के संबंध में अपना वेतन तथा भत्ते लेने के लिये अनुज्ञात किया गया हो."

(३) नियम ३ के पश्चात् निम्नलिखित नियमों के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायगा कि वे तारीख 11 जवनरी 1974 से अन्त:स्थापित किये गये हैं, अर्थात्:—

"३ ए. ऐसे किसी शासकीय सेवक के संबंध में, जिसके बारे में नियम ३ के खंड (दो) के अधीन कोई घोषणा जारी नहीं की गई हो. किंतु जो ऐसी किसी सेवा या पद पर, जिनके बारे मे ऐसी घोषणा की जा सकती थी, अस्थायी सेवा में निरन्तर पांच वर्ष तक रहा हो; यह समझा जायेगा कि वह स्थायीवत् सेवा (क्वासी-परमानेंट सर्विस) में है, जब तक कि लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा आदेश न दे.

३ एए. नियम ३ तथा ३-ए के प्रयोजन के लिये, ऐसी किसी नियुक्ति की दशा में,—

(क) जहां लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित न हो, वहां किसी शासकीय सेवक द्वारा की गई ऐसो कोई सेवा, जो भरती नियमों के उपबन्धों या राज्यपाल द्वारा समय-समय पर जारी किये गये किन्हीं अनुदेशों के अनुसार हुई उसकी अस्थायी नियुक्ति के पूर्व की गई हो, यथास्थिति सेवा के पूर्ण तीन वर्ष या पांच वर्ष की गणना करने के लिये हिसाब में नहीं ली जायेगी.

(ख) जहां लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित हो, वहां किसी शासकीय सेवक द्वारा की गई ऐसी कोई सेवा, जो लोक सेवा आयोग द्वारा उसका चयन किये

जाने के पूर्व की गई हो, यथास्थिति सेवा के पूर्व तीन वर्ष या पांच वर्ष की गणना करने के लिये हिसाब में नहीं ली जायगी."

(४) नियम ४ में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह तारीख ११ जनवरी १९७४ से स्थापित किया गया है, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि जहां ऐसी कोई नियुक्ति, जिसके लिये लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित हो, ऐसे परामर्श के बिना की गई हो, वहां ऐसे मामले में किसी शासकीय सेवक को स्थायीवत् सेवा (क्वासी-परमानेंट सर्विस) में घोषित किये जाने के पूर्व लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वेकन्ना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २२ दिसम्बर १९७५.

एफ. क्र. सी-३-५१-७५-३-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. सी-३-५१-७५-३-एक, दिनांक २२ दिसम्बर १९७५ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वेकन्ना, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 1975.

F. No. C 3-51-75-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhay Pradesh Government Servants (Temporary and Quasi-Permanent Service) Rules, 1960, namely:—

Amendments

In the said rules,—

(1) in rule 2, for clauses (b) and (c), the following clauses shall be and shall always be deemed to have been substituted with eeffct from the 11th January 1974, namely:—

"(b) 'Quasi-Permanent Service' means temporary service commenced from such date as may be specified in that behalf in the declaration issued under rule 3 or from the date from which the Government servant concerned is deemed to be in quasi-permanent service under rule 3A and consisting of periods of duty and leave (other than extraordinary leave) after that d te;

(c) 'Specified post' means a particular post, or the particular grade or posts within a cadre, in respect of which a Government servant is declared to be in quasi-permanent service under rule 3 or deemed to be in quasi-permanent service under rule 3A;

(2) in rule 3,—

(a) for clause (1), the following clause shall be and shall always be deemed to have been substituted with effect from the 11th January 1974, namely:—

"(i) if he has been in temporary service in the same service or post continuously for more than three years; and";

(b) clause (iii) shall be and shall always be deemed to have been omitted with effect from the 11th January 1974,;

(c) for the Explanation, the following Explanation shall be and shall always be deemed to have been substituted with effect from the 11th January 1974, namely:—

"*Explanation*.—In computing continuous temporary service for the purposes of this rule any period of break in service during a vacation shall be counted as a period of actual service where, upon re-employment immediately after the vacation, the Government servant has been allowed to draw his pay and allowances in respect of such period";

(3) after rule 3, the following rules shall be and shall always be deemed to have been inserted with effect from the 11th January 1974, namely:—

"3AA. Government servant in respect of whom a declaration under clause (ii) of rule 3 has not been issued but has been in termporary service continuously for five years in a service or post in respect of which such declaration could be made shall be deemed to be in quasi-permanent service unless for reasons to be recorded in writing the appointing authority otherwise orders.

3AA. For the purpose of rule 3 and 3A, in the case of an appointment,—

(*a*) Where consultation with the Public Service Commission is not required, a service which a Government servant has rendered prior to his temporary appointment according to the provisions of the recruitment rules or any instructions issued by the Governor from time to time, shall not be counted for reckoning the completed three years or five years of service, as the case may be ;

(*b*) Where consultation with the Public Service Commission is required, a service which a Government servant has rendered perior to his selection by the Public Service Commission shall not be counted for reckoning the completed three years or five years of service, as the case may be";

(4) in rule 4, for the second proviso, the following proviso shall be and shall always be deemed to have been substituted with effect from the 11th January 1974 namely :—

"Provided further that where an appointment requiring consultation with the Public Service Commission was made without such consultation in such case before a Government servant is declared to be in quasi-permanent service consultation with the Public Service Commission shall be necessary.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

G. VENKANNA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1975.